रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265100
CG-DL-E-30072025-265100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3437] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29 2025/श्रावण 7, 1947
No. 3437] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3520(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उप धारा (I) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख, 28 अक्टूबर, 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4706 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2024 के प्रकाशन पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि कहा गया है) और भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (I) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि मेसर्स पतरातु विधुत उत्पादन निगम लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोर-7, एनटीपीसी भवन, स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 (एनटीपीसी लिमिटेड और झारखण्ड बिजली वितरण निगिम लिमिटेड का एक संयुक्त उधम) (जिसे इसमें इसके पश्चात सरकारी कम्पनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तो का जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये सहमत है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधरा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि की माप 350.68 हेक्टेयर (लगभग) या 866.16 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार, तारीख 28 अक्टूबर, 2024 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थातः-

i. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;

ii. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील आदि की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

iii. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों को, ऐसे किसी अन्य व्यय के प्रति में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

iv. सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने की शक्ति नहीं होगी; और

v. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/40/2017-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3520(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 4706, dated the 26th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th October, 2024, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and the all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the M/s. Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited, Registered Office and Head Office Core-7, NTPC Bhawan, SCOPE Complex, Lodhi Road, New Delhi 110003 (A joint venture of NTPC Limited and Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited) (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that land measuring 350.68 hectares (approximately) or 866.16 acres (approximately) with all rights in or over the said land so vested shall with effect from the 28th October, 2024 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(i) the Government company shall reimburse to the Central Government all payments in respect of compensation, interest, damages, etc., and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;

(ii) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable to the Central Government by the Government company under condition (i), and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said lands, so vested, shall also be borne by the Government company;

(iii) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

(iv) the Government company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

(v) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/40/2017-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.30 16:16:30 +05'30'